कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–2690/11–सी–FP/UP/Trans/140402/2021, लखनऊ, दिनांकः मार्च 24 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0बी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2038/11–सी–FP/UP/Trans/140402/2021, दिनांक 06.01.2022 एवं आपका पत्रांक 3754/मी0क्षे0/33, दिनांक 25.02.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.02.2022 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 04.03.2022 को उपलब्ध कराया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. प्रस्ताव में DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी किया गया DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है, जिसमें पुनः बौने (औषधीय) पौधों का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः उपरोक्त स्थल का सत्यापित कलर फोटोग्राफ संलग्न किया जाये।
4. प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज अवधि दिनांक 01.04.1972 से दिनांक 31.03.1997 तक का उल्लेख है। प्रथम लीज की प्रारम्भ तिथि 01.04.1972 किस आधार पर ली गयी है। इससे सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। संलग्न करें।
5. हार्डकापी भाग–2 में प्रथम लीज अवधि दिनांक 09.08.1972 से दिनांक 08.08.1997 तक तथा द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से दिनांक 31.03.2022 तक का उल्लेख है। उपरोक्त से यह विदित होता है कि प्रथम लीज अवधि दिनांक 08.08.1997 को समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से प्रारम्भ हो गयी। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न कर स्पष्ट करें।
6. प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन पार्ट–2 संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
7. प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग–3 मूल में संलग्न नहीं है।
8. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में आशय स्पष्ट नहीं है। अतः स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करें।
9. हार्डकापी भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
10. हार्डकापी भाग–2 में मूल लीज का आदेश सं0–4050/14–2–794/72, दिनांक 09.08.1997 तथा प्रस्ताव में संलग्न आदेश में उक्त दिनांक 02.09.1972 एवं 01.09.1972 अंकित कर ओवर राइटिंग की गयी है, जिससे आदेश जारी होने की तिथि भ्रामक है। अतः सही लीज का आदेश संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड किया जाये।
11. प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज का आदेश सं0–4887(2)/14–2–794/72, दिनांक 02.09.1972 का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव में इस आदेश सं0 का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट कर संलग्न करें।
12. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 एवं 38 में भारत सरकार के आदेश सं0 का दिनांक 06.10.2002 अंकित है, जोकि गलत है। अतः सही दिनांक अंकित कर संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का डिलिट कर ऑनलाइन अपलोड करें।
13. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ तथा ऑनलाइन में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करें।
14. संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2690 /11–सी–FP/UP/Trans/140402/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।